



2026:AHC: 5327

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या - 33129 सन् 2025

सन्दीप तिवारी

....याचिककर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष

आवेदक के अधिवक्ता

: हिमांशु दुबे, प्रखर सारन श्रीवास्तव

विपक्षी के अधिवक्ता

: जी.ए.

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति अशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री हिमांशु दुबे, प्रखर सारन श्रीवास्तव को तथा श्री राजेश कुमार सिंह, विद्वान अ.शा.अ. को राज्य-प्रतिवादी की ओर से सुना गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अन्तर्गत प्रस्तुत यह ज़मानत आवेदन आवेदक सन्दीप तिवारी की ओर से विचारण की लम्बितता के दौरान एन.डी.पी.एस. अधिनियम, की धारा 8/20 के अन्तर्गत थाना पाढ़री, जिला मिर्जापुर में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 135 सन् 2025 में ज़मानत पर रिहाई हेतु प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि आरोपी आवेदक निर्दोष है और उसे इस मुकदमे में मिथ्या रूप से फँसाया गया है तथा वह 28.07.2025 से कारागार में है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि सामान परिस्थितियों में सह अभियुक्त राजेश कुमार मौर्य और दीपक कुमार पांडे को इस न्यायालय द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 37206/2025 तथा 37142 / 2025 में पारित आदेश दिनांक 06.11.2025 तथा 16.12.2025 द्वारा पहले ही ज़मानत पर रिहा किया जा चुका है। आवेदक जिसका कोई पूर्वकत आपराधिक

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



इतिहास नहीं है। जमानत पर रिहाई की स्थिति में न्याय के मार्ग से भागने या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं है। अतः जमानत की प्रार्थना की गई है।

इसके विपरीत, विद्वान अ.शा.अ. ने आवेदक की जमानत प्रार्थना का विरोध किया है, पर उपरोक्त कथित तथ्यों पर कि इसी तरह के हालात में ऊपर बताए गए सह-अभियुक्तों को इस न्यायालय ने पहले ही जमानत दे दी है, इनकार नहीं कर सके

उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि की स्थिति में दंड की गंभीरता एवं सहायक साक्ष्य की प्रकृति, साक्षी के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका तथा प्रथम दृष्टया प्रकरण पर विचार करते हुए, किन्तु प्रकरण के गुण-दोष पर टिप्पणी किए बिना, जमानत का मामला बनता है।

अतः यह जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

आवेदक **लोकेन्द्र** को उपर्युक्त मुकदमा अपराध संख्या में, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर व्यक्तिगत मुचलका एवं दो विश्वसनीय जमानतदारों, जो समान राशि के होंगे, प्रस्तुत किए जाने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:

1. आवेदक साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. आवेदक किसी आपराधिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगा।
3. आवेदक अभियोजन साक्षियों पर दबाव/डर नहीं डालेगा तथा विचारण में सहयोग करेगा।
4. आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक तिथि पर नियमित रूप से उपस्थित रहेगा, जब तक संबंधित न्यायालय अधिवक्ता के माध्यम से उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दे।

उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उसकी जमानत निरस्त करने की कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

**08 जनवरी, 2026**

एम/एन

(न्यायमूर्ति अशुतोष श्रीवास्तव)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।